न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 04 / 2020
GCMS रजिस्ट्रेशन संख्या : 2020 / 00045

प्रार्थी / अपीलार्थी :–

1. तहसीलदार सज्जनगढ़
2. सरपंच ग्राम पंचायत नवागॉव, पंचायत समिति सज्जनगढ़ जिला बांसवाडा

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोण्डेंट्स:–

1. श्री हुरपाल पिता श्री मडिया कटारा भील, वार्ड पंच वार्ड नं. 3 निवासी नवागॉव तहसील सज्जनगढ़ जिला बांसवाडा
2. श्री सोनलाल पिता श्री देवचन्द कटारा भील, वार्ड पंच वार्ड नं. 2 निवासी नवागॉव तहसील सज्जनगढ़ जिला बांसवाडा
3. श्रीमती खेतु पत्नि श्री शंकरलाल कटारा वार्ड पंच वार्ड नं. 1 निवासी नवागॉव तहसील सज्जनगढ़ जिला बांसवाडा

उपस्थित

तहसीलदार सज्जनगढ़ — श्री राजकुमार जैन

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

दिनांक :– **31.03.2022**

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिला कलक्टर, बांसवाडा के आदेश क्रमांक एफ 2 (80) राज. / 2016 / 381 दिनांक 26.03.2018 से ग्राम पंचायत नावगांव के अटल सेवा केन्द्र हेतु सर्वे नम्बर 617 / 200 की भूमि में से रकबा 1 एकड भूमि का आवंटन किया गया है। पूर्व में जिला कलक्टर, बांसवाडा के आदेश क्रमांक एफ (80) राज. / 2016 / 1952–58 दिनांक 27.04. 2017 को गांव नवागांव में स्थित सर्वे नम्बर 623 / 383 रकबा 1 एकड एवं सर्वे नम्बर 495 / 385 रकबा 1 एकड भूमि आवंटित की गई थी। उक्त ... के खातेदारों ने अन्य सरकारी कार्यालयों के पास स्थित होने से पंचायत ... का निर्माण हेतु ... की गई है। उक्त आवंटन के पश्चात सरपंच, सरपंच पति व उसके पुत्र ने पंचायत के अन्य राजस्व ग्रामों के रहने ... व्यक्तियों को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.26 10:00:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

कठिनाई उत्पन्न करने के उदेश्य से फर्जी प्रस्ताव बनाकर एवं राजनितिक प्रभाव का उपयोग करते हुए तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी पर दबाव डालकर झुठी अनुशंषा कराकर पुर्व में आवंटित भूमि जिला कलक्टर, बांसवाडा से आवंटन निरस्त कराकर सर्वे नम्बर 617/200 की भूमि में से 1 एकड भूमि आवंटन जरिये आदेश दिनांक 26.03.2018 द्वारा कराया गया है। तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी, सज्जनगढ़ की गलत रिपोर्ट के आधार पर भूमि आवंटन करने में पूर्णतया विधि विपरीत कार्य किया है जिससे अप्रसन्न होकर ग्रामवासी ग्राम पंचायत नवागांव के वार्ड पंच एवं ग्राम सभा के प्रतिनिधियों की ओर से अपील माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर में प्रस्तुत की गई।

माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर ने अपील अपीलांट स्वीकार कर प्रश्नगत आवंटन आदेश 381 दिनांक 26.03.2018 जिसमें ग्राम नवागांव के लिए पंचायत भवन हेतु किया गया आवंटन अपास्त किया तथा प्रकरण में इस न्यायालय को निर्देशित किया कि प्रकरण में अपीलांट व अन्य सभी हितधारियों एवं जनप्रतिनिधियों को सुनते हुए जिला स्तरीय राजस्व एवं पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों कि एक समिति गठित कर पुर्ण जांच रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण में अजसरे नव निर्णय पारित करें।

दिनांक 27.08.2020 को प्रकरण दर्ज कर तहसीलदार सज्जनगढ़, सरपंच ग्राम पंचायत नवागांव (जनप्रतिनिधि) एवं रेस्पोडेंटस् को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। माननीय न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त उदयपुर के निर्देशानुसार दिनांक 13.10.2020 को प्रकरण में राजस्व एवं पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों की जिला स्तरीय समिति जिसमें अतिरिक्त जिला कलक्टर बांसवाडा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बांसवाडा, तहसीलदार सज्जनगढ़, विकास अधिकारी पंचायत समिति सज्जनगढ़ के रूप में गठित कर प्रकरण में जांच कर समस्त हितधारियों एवं जनप्रतिनिधियों को सुनते हुए पुर्ण जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने आदेश दिये गये। सरपंच ग्राम पंचायत नवागांव (जनप्रतिनिधि) ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत के सभी निवासीयान को सुविधाजनक स्थान पर [illegible] भवन का निर्माण करने के उदेश्य से पंचायत स्थर पर प्रयास कर निजी खातेधारी की भूमि [illegible] नम्बर 623/383 रकबा 1.00 एकड एवं सर्वे नम्बर 495/385 रकबा 1.00 पर कुल रकबा 2 एकड भूमि गांव नवागांव को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.26 10:00:51 IST
Reason: SelfAttested

एवं जिला मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

राजहित में समर्पित कि गई है। ग्राम पंचायत उक्त समर्पित भूमि पर पंचायत भवन बनाना चाहती है एवं उक्त भूमि का आवंटन कराना चाहती है। कार्यालय ग्राम पंचायत नवागांव पंचायत समिति सज्जनगढ़ के लेटर हेड पर सरपंच ग्राम पंचायत नवागांव, वार्ड पंच एवं अन्य ग्रामवासीयान के हस्ताक्षरशुदा पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 03.03.2021 को रेस्पोडेंट्स की ओर से श्री राजकुमार जैन, श्री अनुराग जैन अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ।

दिनांक 14.07.2021 को जिला स्तरीय समिति द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जांच रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि उक्त दोनो प्रश्नगत भूमियों का अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बांसवाडा द्वारा मौका देखा गया। जिसमें पूर्व में आवंटित भूमि खसरा नं. 623/383 एवं 495/385 नवागांव से लगभग 500 मीटर दूर तथा राजकीय विद्यालय के पास स्थित है, जबकी इसको निरस्त कर खसरा नं. 617/200 कि भूमि ग्राम पंचायत भवन निर्माण हेतु आवंटन किया गया जो इस गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है एवं पथरीली पहाडी पर सडक के किनारे स्थित है इसके आसपास आबादी नहीं होना पाया गया। इन दोनो प्रश्नगत भूमियों का मौका मुआयना तहसीलदार सज्जनगढ़, विकास अधिकारी सज्जनगढ़ एवं अन्य के द्वारा दिनांक 23.02.2021 को किया गया तथा मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार की गई। मौका पर्चा रिपोर्ट में भी उपयोगिता एवं आमजन की सुविधा के हिसाब से पूर्व में पंचायत भवन निर्माण हेतु आवंटित कि गई भूमि को पंचायत भवन निर्माण के लिए अधिक उपयुक्त बताया एवं जिला स्तरिय समिति द्वारा ग्राम पंचायत भवन निर्माण के लिए उपयोगिता एवं आमजन की सुविधा की दृष्टि से वर्तमान में आवंटित भूमि खसरा नं. 617/200 का आवंटन निरस्त कर पूर्व में आवंटित निरस्त भूमि खसरा नं. 623/383 एवं 495/385 को पुनः आवंटित करने अनुशंषा की। तथा यह भी अवगत कराया कि ग्राम पंचायत नवागांव भवन निर्माण हेतु नवीन आवंटित भूमि खसरा नं. 617/200 के विरूद्ध ग्रामवासी नवागांव द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में SB civil writ petition No. 2198/2019 दायर की गई है। प्रस्तुत याचिका में ग्राम पंचायत निर्माण हेतु आवंटित खसरा नं. 617/200 के आवंटन को निरस्त करते हुए पूर्व आवंटित खसरा नं. 623/383 तथा 495/385 पर पंचायत भवन निर्माण की प्रार्थना की गई है।

दिनांक 31.03.2022 को उपस्थित पक्षों की ओर से बहस की गई। रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि आमजन की सुविधा के हिसाब से पूर्व में पंचायत भवन निर्माण हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.26 10:00:51 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

आवंटित कि गई भूमि को पंचायत भवन निर्माण के लिए अधिक उपयुक्त है, जिस हेतु सरपंच ग्राम पंचायत नवागॉव तथा ग्रामवासीयान् द्वारा दिनांक 13.10.2020 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय को निवेदन किया गया है एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा ग्राम पंचायत भवन निर्माण के लिए उपयोगिता एवं आमजन की सुविधा की दृष्टि से वर्तमान में आवंटित भूमि खसरा नं. 617/200 का आवंटन निरस्त कर पूर्व में आवंटित निरस्त भूमि खसरा नं. 623/383 एवं 495/385 को पुनः आवंटित करने अनुशंषा की है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उदयपुर ने उनके प्रकरण सं. 13/2020 अपील/बॉसवाडा में दिनांक 13.08.2020 में जिला कलक्टर बॉसवाडा के प्रश्नगत आदेश क्रमांक एफ 2(80) राज. /2016/381 दिनांक 26.03.2018 से ग्राम नवागॉव सर्वे नंबर 617/200 रकबा 6.60 एकड मे से 1.00 एकड जो ग्राम पंचायत नवागॉव के भवन निर्माण हेतु आवंटित की गई थी को अपास्त किया है। माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उदयपुर के निर्देशानुसार इस न्यायालय द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति की रिर्पोट अनुसार ग्राम पंचायत भवन निर्माण के लिए उपयोगिता एवं आमजन की सुविधा की दृष्टि से वर्तमान में आवंटित भूमि खसरा नं. 617/200 का आवंटन निरस्त कर पूर्व में आवंटित निरस्त भूमि खसरा नं. 623/383 एवं 495/385 को पुनः आवंटित करने अनुशंषा की है। दोनो प्रश्नगत भूमियों का अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बांसवाडा द्वारा मौका देखा गया। जिसमें पूर्व में आवंटित भूमि खसरा नं. 623/383 एवं 495/385 नवागांव से लगभग 500 मीटर दूर तथा राजकीय विद्यालय के पास स्थित है, जबकी इसको निरस्त कर खसरा नं. 617/200 कि भूमि ग्राम पंचायत भवन निर्माण हेतु आवंटन किया गया जो इस गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है एवं पथरीली पहाडी पर सडक के किनारे स्थित है इसके आसपास आबादी नहीं होना पाया गया है। इन दोनो प्रश्नगत भूमियों का मौका मुआयना तहसीलदार सज्जनगढ़, विकास अधिकारी सज्जनगढ़ एवं अन्य के द्वारा दिनांक 23.02.2021 को किया गया तथा मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार की गई है। मौका पर्चा रिपोर्ट में उपयोगिता एवं आमजन की सुविधा के हिसाब से पूर्व में पंचायत भवन निर्माण हेतु आवंटित कि गई भूमि को पंचायत भवन निर्माण के लिए अधिक उपयुक्त होना दर्शाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.26 10:00:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

अतः माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उदयपुर ने उनके प्रकरण सं. 13/2020 अपील/बॉसवाडा में दिनांक 13.08.2020 में जिला कलक्टर बॉसवाडा के प्रश्नगत आदेश क्रमांक एफ 2(80) राज./2016/381 दिनांक 26.03.2018 से ग्राम नवागॉव सर्वे नंबर 617/200 रकबा 6.60 एकड मे से 1.00 एकड जो ग्राम पंचायत नवागॉव के भवन निर्माण हेतु आवंटित की गई थी को अपास्त किया है। उपयोगिता एवं आमजन की सुविधा तथा सरपंच/जनप्रतिनिधि/ग्रामवासी नवागॉव ग्राम पंचायत नवागाव के प्रार्थना पत्र दिनांक 13.10.2020, इस न्यायालय द्वारा गठित राजस्व एवं पंचायतीराज विभाग के अधिकारीयों की जिला स्तरीय समिति की अनुशांसा पर प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग हाजा को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान भूराजस्व (स्कूल, कॉलेज, चिकित्सालय, धर्मशाला एवं अन्य सार्वजनिक भवनो के लिये भूमि आवंटन) नियम 1963 के तहत ग्राम पंचायत नवागॉव के भवन निर्माण हेतु ग्राम नवागॉव सर्वे नं. 623/383 रकबा 1 एकड, सर्वे नं. 495/385 रकबा 1 एकड कुल 2 एकड के नियमानुसार प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ एवं तहसीलदार सज्जनगढ से प्राप्त कर अजसरे नव आवंटन आदेश की कार्यवाही करे। प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग हाजा को मूल पत्रावली एफ 2 (80) राजस्व/2016 निर्णय की प्रति के साथ भिजवाई जावे। निर्णय की प्रति सम्बन्धित को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा (राज.)

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर
बाँसवाड़ा

जिला कलक्टर बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.26 10:00:51 IST
Reason: SelfAttested